



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1940 (श10)
(सं0 पटना 242) पटना, बुधवार 20 फरवरी 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
15 फरवरी 2019

सं0 एम-1-001/2019-07— बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल होने के फलस्वरूप निरर्हित घोषित करने संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश सं0-76/आदेश/पूर्व-अनु0-1/बिहार-वि.स./2015 दिनांक 18.01.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/18 जनवरी 2019, 28 पौष, 1940 (शक)

सं० 76/आदेश/पूर्व-अनु०-1/बिहार-वि.स./2015—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है

अतः अब, निर्वाचन अयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2015	93-कुढ़नी	सरजीत सुमन उर्फ सुरजीत कुमार सहनी, ग्राम-तेलिया, चरखोड़िया, पोस्ट-छाजन हरिशंकर, थाना-कुढ़नी, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2	-वही-	-वही-	असफ़ी सहनी, ग्राम+पोस्ट-बसौली, थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर, राज्य-बिहार, 844127	-वही-
3	-वही-	-वही-	अभय कुमार, ग्राम-मोहनपुर, पोस्ट-मीरापुर, थाना-सकरा, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार।	-वही-
4	-वही-	-वही-	पुजा कुमारी, ग्राम-मझौलिया, पोस्ट-मझौलिया स्टेट, थाना-बथनाहा, जिला-सीतामढ़ी, बिहार।	-वही-
5	-वही-	-वही-	कुमार विजय, ग्राम+पोस्ट-झिकटी, थाना-कुढ़नी, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार।	-वही-
6	-वही-	103-भोरे (अ.जा.)	जानकी देवी, ग्राम-शिवस्थान, विदेशी टोला थावे, पो०+थाना-थावे, जिला-गोपालगंज, बिहार।	-वही-
7	-वही-	-वही-	शर्मा देवी, ग्राम-लामीचौर, पो०-लामीचौर, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज, बिहार।	-वही-
8	-वही-	150-बेलदौर	विन्दु देवी, ग्राम-वोविल, पोस्ट-फूलवरिया, थाना-बेलदौर, जिला-खगड़िया, बिहार।	-वही-

आदेश से,
आनन्द कुमार पाठक,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/

Dated 18th January 2019, 28 Pausha 1940 (SAKA)

No. 76/ORDER/ES-1/BR-LA/2015— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2015 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as show in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation, if any made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :-

TABLE

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to the Bihar Legislative Assembly 2015	93-Kurhani	SARJIT SUMAN URF SURJIT KUMAR, Vill-Teliya Charkhoriya, P.O- Chhajan Harishankar, P.S.-Kurhani, Dist-Muzaffarpur, Bihar.	Failure to lodge any account of Election expenses
2	-do-	-do-	ASARFI SHANI, Vill+PO- Basauli, P.S-Kudhani, Dist-Muzaffarpur, Bihar.	-do-
3	-do-	-do-	ABHAY KUMAR, Vill- Mohanpur, P.O- Mirapur, P.S- Sakra, Dist-Muzaffarpur, Bihar.	-do-
4	-do-	-do-	POOJA KUMARI, Vill- Majhauiliya, P.O- Majhauiliya, State, P.S- Bathnaha, Dist- Sitamarhi, Bihar.	-do-
5	-do-	-do-	KUMAR VIJAY, Vill- Jhikti, P.O- Jhikti, P.S- Kudhani, Dist- Muzaffarpur, Bihar.	-do-
6	-do-	103-Bhorey (SC)	Janki Devi, Village- Shiv asthan, Bideshi Tola, P.O+ P.S – Thawe, District- Gopalganj, Bihar.	-do-

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
7	-do-	-do-	Sharma Devi, Village+ P.O- Lamichaur, P.S- Bhorey, District- Gopalganj, Bihar.	-do-
8	-do-	150 Beldaur	Bindu Devi, At- Boil, P.O- Phulwaria, P.S- Beldaur, Dist- Khagaria, Bihar.	-do-

By Order,

ANAND KUMAR PATHAK,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 242-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>